



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
20.07.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-32/2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शमसुल हक, ग्राम-चीरुडीह, पो0-मुड़भंगा, प्र0+जिला-दुमका Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका अनुपस्थित।</p> <p>जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका ने आयोग को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया है कि श्रावणी मेला में ड्यूटी लगाये जाने के कारण वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं।</p> <p>आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को निर्देश देता है कि यदि वे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने कार्यालय को यह निदेश दें कि अपीलकर्ता ने जो शिकायत दर्ज कराया है, इससे सम्बन्धित जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजें। इस निर्देश के साथ आयोग वाद को निष्पादित करता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div data-bbox="375 1041 670 1232"><p style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div data-bbox="901 1041 1197 1232"><p style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div>	